THE HIGH COURT LEGAL SERVICES COMMITTEE REGULATION, 1997

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title and commencement

1. 1. These regulation may be Called the High Court Legal Services Committee Regulations, 1997.

2. They shall come into force with effect from the date of their publication in the official *Gazette.*

Definitions

2. In these regulations, unless the context otherwise requires-

a. "Act" means the Legal Services Authorities Act, 1987;

b. "Aided person" means a person to whom legal aid, legal advice or legal services has been provided in any form;

c. "Chief Justice" means the Chief Justice of the High Court;

d. "Chairman" means the High Court Legal Services Committee;

e. "Committee" means the High Court Legal Services Committee;

f. "Central Authority" mean's the National Legal Services Authority constituted under section 3;

g. "High Court" means the High Court of Judicature at Allahabad;

h. "Legal Service" includes the rendering of any service in the conduct of any case or other legal proceeding before any Court or other authority or tribunal and the giving of advice on any legal matter;

i. "Lok Adalat" means a Lok Akalat organised under Chapter VI of the Act;

j. "Member" means a member of the Committee;

k. "Rules" means the Uttar Pradesh State Legal Services Authority Rules, 1996;

उत्तर प्रदेश सरकार

न्याय विभाग अनुभाग-7

संख्या 39/एस.एल.एस.ए.- 104-97
लख़नऊ, 11 सितम्बर, 1997

अधिसूचना

सा.प.नि.- 98

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39 सन् 1987) की धारा 29-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण निम्नलिखित विनियमावली बनाते है।

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति विनियमावली, 1997

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

(1) यह विनियमावली उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति विनियमावली, 1997 कहा जायेगा।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनाँक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस विनियमावली में :-

(क) ‘‘अधिनियम’’ का तात्पर्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 से है;

(ख) ‘‘सहायता प्राप्त’’ व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसको विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवायें किसी भी रूप में उपलब्ध कराई गई हों;

(ग) ‘‘मुख्य न्यायमूर्ति’’ का तात्पर्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से है;

(घ) ‘‘अध्यक्ष’’ का तात्पर्य उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष से है;

l. "Secretary" means the Secretary of the High Court Legal Services Committee;

m. "Section" means a section of the Act;

n. "State Authority" means the Uttar Pradesh State Legal Services Authority constituted under Section 6.

CHAPTER II

Members, Functions, Secretary and Funds of the Committee

3. Members of the High Court Legal Services Committee

3. 1.The Committee shall Consist of the following ex-officio members:-

a. a sitting Judge of the High Court nominated by the Chief Justice

Chairman

b. Senior most Chief Standing Counsel of the State Government at Allahabad.

Member

c. Senior most Chief Standing Counsel of the State Government at Lucknow.

Member

d. President of the High Court Bar Association at Allahabad;

Member

e. Presedent of the Advocate Associations of the High Court at Allahabad

Member

f. President of the Avadh Bar Association at Lucknow.

Member

g. Registrar of the High Court Member

h. Additional Registrar of the High Court at Lucknow

Member

2. The Chief Justice may nominate other members not exceding nine, from amongst persons possessing the experience and qualifications

(ङ) "समिति" का तात्पर्य उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति से है;

(च) "केन्दीय प्राधिकरण" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से है;

(छ) "उच्च न्यायालय" का तात्पर्य उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से है;

(ज) "विधिक सेवा" के अन्तर्गत किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण या अधिकरण के समक्ष किसी मामले या अन्य विधिक कार्यवाही के संचालन में कोई सेवा प्रदान करना और किसी विधिक विषय में सलाह देना भी है;

(झ) "लोक अदालत" का तात्पर्य अधिनियम के अध्याय 6 के अधीन आयोजित लोक अदालत से है;

(ञ) "सदस्य" का तात्पर्य राज्य समिति के सदस्य से है;

(ट) "नियमावली" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 1996 से है;

(ठ) "सचिव" का तात्पर्य उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव से है;

(ड) 'धारा" का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है;

(ढ) "राज्य प्राधिकरण" का तात्पर्य धारा 6 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से है।

अध्याय दो

समिति के सदस्य, कृत्य सचिव और निधियाँ

3. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्य

1. समिति के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे :-

(क) उच्च न्यायालय का एक आसीन न्यायाधीश अध्यक्ष
(मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित)
(ख) इलाहाबाद में राज्य सरकार का ज्येष्ठतम
मुख्य स्थायी अधिवक्ता सदस्य
(ग) लखनऊ में राज्य सरकार का ज्येष्ठतम
मुख्य स्थायी अधिवक्ता सदस्य
(घ) अध्यक्ष, हाईकोर्ट, बार एसोसियेशन, इलाहाबाद सदस्य
(ङ) अध्यक्ष, एडवोकेट एसोसियेशन हाईकोर्ट, इलाहाबाद सदस्य
(च) अध्यक्ष, अवध बार एसोसियेशन, लखनऊ सदस्य
(छ) निबन्धक, उच्च न्यायालय सदस्य